बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

संख्या प्र02 वि01 75/2003 2789 खाद्य, पटना/ दिनांक – 25.4.2011

विषय :– बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 यथासंशोधित 2006 के नियम 3 के उप नियम (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का क्रमश 12,500/– (बारह हजार पॉच सौ) रू0 एवं 9500/– (नौ हजार पॉच सौ) प्रतिमाह मानदेय तथा 1000/– (एक हजार) रू0 एवं 500/– (पॉच सौ) रू0 प्रतिमाह परिवहन भत्ता की स्वीकृति।

बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली – 1987 यथासंशोधित 2006 के नियम 3 के उप नियम (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों को षष्टम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में मानदेय एवं परिवहन भत्ता की स्वीकृति का मामला सरकार के विचाराधीन था। विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों का क्रमश 12,500/– (बारह हजार पॉच सौ) रू0 एवं 9500/– (नौ हजार पॉच सौ) प्रतिमाह मानदेय तथा 1000/– (एक हजार) रू0 एवं 500/– (पॉच सौ) रू0 प्रतिमाह परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4 राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों को संशोधित मानदेय एवं परिवहन भत्ता संकल्प निर्गत की तिथि से देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के अगले अंक में किया जाय।

ह० 21/04/2011
(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01 75/2003 2789 खाद्य, पटना/ दिनांक – 25.4.2011

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सरकारी प्रेस, गुलजारबाग, पटना को इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में पॉच अतिरिक्त प्रतियॉ एवं सी0डी0 के साथ प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प की 200 प्रतियॉ विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० 21/04/2011
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01 75/2003 2789 खाद्य, पटना/ दिनांक – 25.4.2011

प्रतिलिपि – सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – निबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार/अध्यक्ष, सभी जिला उपभोक्ता फोरम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव (बजट)/प्र0 पदा0, 01,02, एवं 05 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 21/04/2011
प्रधान सचिव